रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01092022-238469
CG-DL-W-01092022-238469

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 21— अगस्त 27, 2022, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1944
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2022, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में मुख्य संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी (समूह 'क' राजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी (समूह 'क' राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता**– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग** से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
संयुक्त रीति द्वारा अर्थात् प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।)	I. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रू 56100-177500) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा किया हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हों :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिक या वैद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा किया हो, और (ii) स्वच्छता अधिष्ठापन, वातानुकूलित उपस्करों और वैद्युत अधिष्ठापनों सहित कार्यालय भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव में पांच वर्षों का अनुभव । II. **प्रोन्नति :** (i) विभागीय ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500) है, उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्षों की सेवा की हो; या (ii) विभागीय ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500) है, जिसके साथ उन्होंने विभागीय ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500) है और विभागीय संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु 47600-151100) है, में सात वर्षों की सयुंक्त सेवा की हो जिसमें ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500) है, की श्रेणी में नियमित आधार पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा की हो, तब उन्हें भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार में लिया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2016 या उस तारीख से जिसको 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन संरचना के पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर सेवा किया हो, तत्समान ग्रेड वेतन या संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर वर्धित वेतनमान में की गयी सेवा मानी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. 39021/03/2020-स्था.(ख)]

मानवेन्द्र प्रताप, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 12th August, 2022

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Estates Manager and Meeting Officer Group 'A' in the office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Chief Estates Manager and Meeting Officer (Group 'A' Gazetted) Post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Estates Manager and Meeting Officer.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs 67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

<table>
<tr><th>Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</th><th>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.</th></tr>
<tr><td>(10)</td><td>(11)</td></tr>
<tr><td>By composite method i.e. Promotion/Deputation (including Short-term Contract).</td><td>I. Deputation (including short-term contract): From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union territories or universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organizations,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or

(ii) with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department;
And

(b) possessing the following educational qualifications and experience,-

(i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised university or institutions; and
(ii) five years’ experience in the upkeep and maintenance of office buildings including sanitary installations, air conditioning equipments and electrical installations.

II. Promotion:
(i) The Departmental Senior Estate Manager and Meeting Officer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years’ of regular service in the grade; or

(ii) The Departmental Senior Estate Manager and Meeting Officer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with seven years’ combined service in the grade of Senior Estate Manager and Meeting Officer in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix and Departmental Estate Manager and Meeting Officer in level 8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix with minimum two years’ regular service in the grade of Senior Estate Manager and Meeting Officer in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix, shall also be considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Union Public Service Commission.</td></tr>
</table>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/03/2020-Estt.(B)]

MANAVENDRA PRATAP Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सा.का.नि.113.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में, संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियमों का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त परिनियम कहा गया है) के पैरा 2 के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

(ञ) "संस्थान" से उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है;"

4. उक्त परिनियम के पैरा 3 के उपपैरा (2) के खंड (2) में उपखंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ठ) संस्थान के शासक-बोर्ड के लिए दो आचार्य को नामनिर्दिष्ट करना ।"

[फा. सं. 50020/69/2022-एनआईपीईआर]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड, 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 391, तारीख 30 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 355, तारीख 27 नवम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

New Delhi, the 24th August, 2022

G.S.R. 113.—In pursuance of sub-section (1) of section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby make the following further amendments to the first Statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under